सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड–492002

क्रमांक एफ 11–1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013,

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर्स
(छ..ग.)

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने बाबत् ।

–––000–––

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की –**कंडिका–5.14**–छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सुझाव के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मॉनिटरिंग और समीक्षा के लिए जिले में अधिनियम के तहत आने वाले आवेदनों/प्रथम अपीलों की समीक्षा तथा प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण की निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना है। उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नानुसार होंगेः–

1. जिला कलेक्टर	अध्यक्ष,
2. पुलिस अधीक्षक,	सदस्य,
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,	सदस्य,
4. अध्यक्ष, जिला प्रेस क्लब	सदस्य,
5. अध्यक्ष, जिला बार एसोसियेशन	सदस्य,
6. शासन द्वारा नामांकित एक स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य,
7. शासन द्वारा नामांकित एक समाजसेवी	सदस्य,

2/– अतः अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें ।

4471
04 MAY 2013
हस्ताक्षर

(कमर अली)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 11–1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013,

प्रतिलिपिः–

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार, रोड़ शंकर नगर, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 336/स्था./छगरासूआ/13, दिनांक 28.2.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।

2 MAY 2013

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

Copy of Jankari.doc198